न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या –25 / 2025

उनवान

प्रार्थीगण

गोविन्द पुत्र मोहन
रामचन्द्र पुत्र मोहन
हरीश पुत्र मोहन जाति जीनगर
की निवासी देवपुरा खडीन, हाल
वासी बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

2. श्री कासम पुत्र साला वगैराह प्रतिवादीगण संख्या 2 से 18
19.तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

आवेदन संख्या :– 25 / 2025 **दिनांक :–07.03.2025**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 10.01.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा जानी की बस्ती पटवार हल्का चाडी के खसरा संख्या 397 / 298 क्षेत्रफल 1.2464 हेक्टयर उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण 1 से 19 बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गयी। प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। अन्य विप्रार्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड जारी होने बावजूद उपस्थित नही एवं जवाब प्राप्त नही। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **जानी की बस्ती** पटवार हल्का चाडी के खसरा संख्या 397 / 298 क्षेत्रफल 1.2464 हेक्टयर उनके भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000 / – अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में मौके पर विवाद होने, किसी न्यायालय में स्थगन एवं मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों / अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक 07/03/2025

क्रमांक : शीघ्र / 2025 / 181-84

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी रामसर।
3. प्रार्थी श्री गोविन्द पुत्र मोहन वगैराह।
4. विप्रार्थीगण श्री कासम पुत्र साला वगैराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर